

(बिहार अध्यादेश सं० 43, 1981)

## बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अध्यादेश, 1981

बिहार राज्य में मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा के विकास और उसकी बेहतर देख-रेख के निमित्त एक स्वायत्त बोर्ड के गठन का उपबन्ध करने के लिये अध्यादेश ।

प्रस्तावना—चूँकि, बिहार राज्य विधान-मंडल सत्र में नहीं है ;

और, चूँकि, बिहार-राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार राज्य में मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा के विकास और बेहतर देख-रेख के निमित्त एक स्वायत्त बोर्ड के गठन का उपबन्ध करने के लिये तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिये आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ—(1) यह अध्यादेश बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अध्यादेश, 1981 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अध्यादेश में—

(क) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन स्थापित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड,

(ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष,

(ग) 'संस्कृत विद्यालय' से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो बोर्ड द्वारा संस्कृत प्राथमिक विद्यालय/संस्कृत मध्य विद्यालय/संस्कृतोच्च विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(घ) 'प्रबन्ध समिति' से अभिप्रेत है मध्यमा स्तर तक के सभी टोल्स एवं अराजकीय संस्कृत विद्यालय के प्रबन्ध हेतु इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन गठित समिति;

(ङ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

- (च) 'विनियमावली' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई विनियमावली;
- (छ) 'नियमावली' से अभिप्रेत है अध्यादेश के अधीन बनाई गई नियमावली;
- (ज) 'सचिव' से अभिप्रेत है बोर्ड का सचिव;
- (झ) 'शिक्षण से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त टोल एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षण वर्ग का सदस्य जिसमें टोल एवं संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधान भी सम्मिलित हैं;
- (ञ) 'टोल' से अभिप्रेत है मध्यमा या उससे निम्न स्तर तक संस्कृत शिक्षा प्रदान करने के लिये मान्यता प्राप्त टोल,
- (ट) 'मान्यता प्राप्त' से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त;
- (ठ) 'संस्कृत विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

3. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना—(1) उस तारीख से जो राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना की जायगी (जिसे इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) । इसका मुख्यालय पटना में होगा और इसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी ।

(2) बोर्ड उक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने और निपटाने, संविदा करने एवं ऐसे अन्य सभी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ।

4. बोर्ड का गठन—बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा—

- (1) अध्यक्ष, जो इस अध्यादेश की धारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा;
- (2) शिक्षा निदेशक, जो संस्कृत शिक्षा के प्रभारी हों, अथवा उसका कोई नाम निर्देशिती जो उप-शिक्षा निदेशक से अन्यून पंक्ति का हो—पदेन;
- (3) कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय या उनका कोई नाम निर्देशिती—पदेन;

(4) संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्देशिती;

(5) विश्वविद्यालय अभिषद् के दो सदस्य;

(6-8) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मध्यमा स्तर तक शिक्षा देने वाली राज्य की मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्थाओं के तीन शिक्षक (राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, तथा टोल के एक-एक);

(9-10) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अंगीभूत संस्कृत महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित दो शिक्षक; और

(11) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित संस्कृत के एक ख्याति प्राप्त विद्वान ।

5. पदावधि—(1) अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति अथवा नाम-निर्देशन की तारीख से राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त से तीन वर्षों से अनधिक अवधि की होगी और इसमें ऐसी अवधि भी शामिल होगी जो पदावधि के अवसान की तारीख और उक्त पदावधि के अवसान के कारण हुई रिक्त की पूर्ति के लिये नियुक्ति अथवा नाम निर्देशन की तारीख के बीच बीते ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पदावधि के अवसान पर बोर्ड का कोई सदस्य तीन वर्षों से अनधिक पदावधि के लिये पुनः नाम निर्देशित किया जा सकेगा, किन्तु दो पदावधियों से अधिक के लिये नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा ।

6. बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य—(1) मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना बोर्ड का कर्तव्य होगा ।

(2) इस अध्यादेश तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड को मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी और विशेषतया उसे निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी ।

(क) इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अनुसार मध्यमा स्तर तक के संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता वापस लेना;

(ख) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स की पंजी रखना;

(ग) संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स में अध्ययन के लिये तथा बोर्ड द्वारा चलाई गई मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विनियम द्वारा उपलब्ध करना;



- (ब) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स में व्यवहार के लिये आवश्यकतानुसार पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों का निर्माण, प्रकाशन एवं विक्रय का भार लेना;
- (ड) संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स में उपयोग के लिये तथा बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षाओं के लिये अनुमोदित पुस्तकों की सूची रखना तथा समय-समय पर प्रकाशित करना तथा ऐसी सूची से किसी पुस्तक का नाम हटाना;
- (च) मध्यमा स्तर तक की विभिन्न संस्कृत परीक्षाएँ तथा वैसे अन्य परीक्षाएँ चलाना और संचालित करना जो वह उचित समझे तथा इस निमित्त विनियम बनाना;
- (छ) बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशित करना तथा उसके आधार पर प्रमाण-पत्र, पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (ज) बोर्ड द्वारा चलाई गई मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं के लिये नियुक्त प्राश्निकों, अनुसीमकों (मोडेरेटरों), सारणीकारों (टेबुलेटरों), परीक्षकों, वीक्षकों, केन्द्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा परीक्षा से सम्पृक्त अन्य व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक की दर तथा परीक्षार्थियों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के लिये देय फीस की दर विनियम द्वारा निर्धारित करना;
- (झ) इस निमित्त बने नियम के अनुसार मध्यमा स्तर तक के परीक्षार्थी को बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षा में बैठने की अनुमति देना या अनुमति देने से इन्कार करना या वापस लेना;
- (ट) संस्कृत शिक्षा निधि का प्रबन्ध करना; और
- (ठ) यथाविहित भविष्य-निधि की संस्थापना और प्रबन्ध करना ।
7. बोर्ड के पदाधिकारी—बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे—
- (1) अध्यक्ष,
  - (2) सचिव, तथा
  - (3) ऐसे अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित हों ।

8. अध्यक्ष—(1) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक के लिये नियुक्त किया जायेगा । उपर्युक्त अवधि के अवसान पर वह तीन वर्षों से अनधिक कालावधि के लिये पुनः नियुक्ति का पात्र हो सकेगा । अध्यक्ष का पद धारण करने के लिये कोई व्यक्ति तब तक पात्र न होगा जब तक वह राज्य सरकार की राय में संस्कृत विद्या में अपनी विद्वत्ता तथा विद्यानुराग के लिये विख्यात न हो ।

(2) अध्यक्ष की नियुक्ति के अन्य बंधेज और शर्तें वैसी होंगी जो राज्य-सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

9. अध्यक्ष का हटाया जाना—(1) यदि किसी समय और ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जायं, राज्य सरकार को प्रतीत हो कि अध्यक्ष—

(1) इस अध्यादेश के द्वारा या के अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में असफल रहा है; या

(2) उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जो बोर्ड के हित के प्रतिकूल है, या

(3) बोर्ड के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने में असमर्थ रहा है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष से अपेक्षा कर सकेगी कि वह आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से अपना पद त्याग दे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि जिन विनिर्दिष्ट आधारों पर वैसी कार्रवाई करना प्रस्तावित हो, उन्हें कथित करने वाली एक सूचना तामील न कर दी गई हो और अध्यक्ष को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से, यह समझा जायेगा कि अध्यक्ष ने पद त्याग कर दिया है और अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है।

10. अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान कार्य-व्यवस्था—छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान शिक्षा निदेशक (प्रभारी संस्कृत शिक्षा) के लिये अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और उनके कर्तव्यों का पालन करना विधिपूर्ण होगा।

11. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य—(1) अध्यक्ष बोर्ड का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक पदाधिकारी होगा और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु अध्यक्ष प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, लेकिन मतों की संख्या बराबर होने पर उसे निर्णायक मताधिकार होगा, जिसका वह प्रयोग कर सकेगा।

(2) बोर्ड के अनुसचिवीय कर्मचारियों और पदाधिकारियों और अन्य सेवकों (शिक्षकों और पदाधिकारियों को छोड़कर) के लिये सृजित पदों पर अध्यक्ष, विनियम-मावली और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे कर्मचारियों और सेवकों पर उसे नियंत्रण और पूर्ण अनुशासनिक शक्तियाँ होंगी।

(3) अध्यक्ष संस्कृत विद्यालयों एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा अथवा ऐसे व्यक्तियों से निरीक्षण करा सकेगा जिन्हें वह इसके लिये प्राधिकृत करे।

(4) जब बोर्ड की बैठक न हो रही हो और यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि ऐसी विशेष स्थिति आ चुकी है जिसमें उसे ऐसी कार्रवाई करना अपेक्षित है, जिसमें इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन बोर्ड में निहित किसी शक्ति का प्रयोग अन्तर्ग्रस्त हो, तो अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे, और अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड की अगली बैठक में पेश करेगा ।

(5) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि बोर्ड की कार्यवाही इस अध्यादेश तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाती है और अध्यक्ष ऐसी प्रत्येक कार्यवाही जो ऐसे उपबन्धों के अनुरूप न हो, की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा । जब तक इस पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसी कार्यवाही तथा उसमें लिये गये निर्णयों को रोक देने की शक्ति अध्यक्ष को होगी ।

(6) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अध्यादेश तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हों ।

12. सचिव —(1) बोर्ड का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(2) सचिव की नियुक्ति की शर्तें और बन्धेज वे ही होंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे ।

(3) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन सचिव बोर्ड का मुख्य प्रशासी पदाधिकारी होगा ।

(4) यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसमें निहित हों या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायँ ।

(5) सचिव बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(6) सचिव बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियाँ रखेगा ।

13. बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि—बोर्ड की 'बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि' के नाम से एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित राशियाँ सम्मिलित की जायेंगी—

(क) इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दी गई सभी राशियाँ;

(ख) इस अध्यादेश के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ली गई सभी फीसें;



- (ग) बोर्ड द्वारा स्वाधिकृत या प्रबन्धित विन्यासों (एन्डाउमेंट) या सम्पत्तियों से प्राप्त आय;  
 (घ) अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी राशियाँ।

14. बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि का उपयोग—इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय को छोड़कर कोई भी अन्य व्यय निधि से तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह व्यय इस अध्यादेश के अधीन अनुमोदित बजट में उपबन्धित न हो अथवा उसकी पूर्ति विहित रीति से स्वीकृत पुनर्विनियोग द्वारा न की जा सकती हो।

15. लेखा—बोर्ड अपनी सभी आय और व्यय का लेखा विहित रीति से रखेगा।

16. सम्परीक्षा—बोर्ड के लेखा का परीक्षण-सम्परीक्षा राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से किया जायेगा।

17. सम्परीक्षा प्रतिवेदन—(1) सम्परीक्षक, सम्परीक्षा पूरा करने के बाद, सम्परीक्षित लेखा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा और उसकी एक प्रति बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड इसे, अपने मंत्रव्य के साथ, राज्य सरकार को भेज देगी।

(2) राज्य सरकार सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर ऐसा निर्देश देगी जो वह उचित समझे और बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसका अनुपालन करे।

18. बोर्ड द्वारा सूचना दिया जाना—बोर्ड राज्य सरकार को यथाविहित ऐसे अन्य प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण देगा तथा ऐसी और भी जानकारी देगा जो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

19. बोर्ड की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना—इस अध्यादेश के अधीन बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र बोर्ड में किसी सदस्य का पद रिक्त होने के कारण ही अविधिमान्य न होगी।

20. नियमावली बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी, और

(2) विशिष्टतः और इस अध्यादेश के पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित किन्हीं या सभी विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा—

- (क) बोर्ड द्वारा सम्पत्ति का अर्जन, कब्जा और निवटान तथा ऐसे अर्जन, कब्जा तथा निवटान की शर्तें;

- (ख) धारा 4 में विनिर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों के नाम निर्देशन की रीति;
- (ग) संस्कृत विद्यालय एवं टोल की प्रबन्ध समिति के गठन तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (घ) बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति के बन्धेज और शर्त, वेतनमान, अनुशासन के नियम तथा अन्य सेवा-शर्तें।
- (ङ) बोर्ड का बजट तैयार करने का प्रपत्र (फारम);
- (च) बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि में रकम जमा करने तथा निकालने की प्रक्रिया;
- (छ) धारा 14 के अधीन पुनर्विनियोग की प्रक्रिया;
- (ज) आय और व्यय के लेखा रखने की प्रक्रिया और उसका प्रपत्र (फारम);
- (झ) बोर्ड के लेखा की परीक्षा-सम्परीक्षण की प्रक्रिया;
- (ट) बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण एवं वैसे प्रतिवेदन, विवरण और विवरणी का प्रपत्र;
- (ठ) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं टोल के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण;
- (ड) ऐसा कोई अन्य विषय जो इस अध्यादेश के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाई गई नियमावली बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष चौदह दिनों से अनधिक अवधि के लिये रखी जायेगी और नियमावली राज्य विधान-मंडल द्वारा उस सत्र के दौरान, जिसमें वह इस प्रकार रखी गई हो, किये गये उपान्तरणों के अधीन होगी।

21. विप्रमान बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का विघटन—(1) इस अध्यादेश के धारा 3 के अधीन बोर्ड की स्थापना की तारीख से राजकीय संकल्प संख्या 322 दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा गठित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड विघटित हो जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वाधिकृत या कब्जाकृत आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ इस अध्यादेश के अधीन स्थापित बोर्ड में निहित हो जायेंगी।

(2) इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व भूतपूर्व बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड या उसके सेवकों के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संस्थित या प्रवर्तनीय सभी विधिक कार्य-वाहियाँ या उपचार बोर्ड या उनके विरुद्ध, यथास्थिति, जारी रखे या प्रवर्तित किये जायेंगे।

(3) इस अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में नियोजित सभी पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को इस अध्यादेश के अधीन



स्थापित बोर्ड में स्थानान्तरित समझा जायेगा और ये उसमें अपना पद या सेवा तब तक उन्हीं बन्धेज एवं पारिश्रमिक पर पूर्व या यथापूर्व रूप से धारित करेंगे जब तक कि उनका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य बन्धेज और शर्तों, इस निमित्त बने किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जाय ।

(4) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड की मान्यता वापस लेने की शक्ति के अधीन रहते हुए जब तक कि मान्यता की अवधि समाप्त न हो जाय सभी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं टोल इस अध्यादेश के अधीन तब तक मान्यता प्राप्त समझे जायेंगे ।

(5) सभी पाठ्य विवरण (सिलेबस), पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों, जो लागू हैं, जब तक अन्यथा उपबन्ध नहीं कर दिया जाय, इस अध्यादेश के अन्तर्गत लागू मानी जायेंगी ।

22. अस्थायी उपबन्ध जब तक कि इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का सम्यक रूप से गठन नहीं हो जाता तब तक बोर्ड अध्यक्ष और पदेन-सदस्यों से ही गठित होगा ।

23. राज्य सरकार की कठिनाई दूर करने की शक्ति—यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उठ जाय, तो राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबन्धों से संगत ऐसा कार्य करने का आदेश बोर्ड को दे सकेगी जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

24. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड तृतीय अध्यादेश, 1980 (बिहार अध्यादेश सं० 144, 1980) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया या की गई समझी जायेंगी मानो यह अध्यादेश उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

तारीख 17 जनवरी, 1981

अ० र० किदवाई  
बिहार-राज्यपाल